अलवर परवाह कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास

अलवर। आरटीओ सतीश कुमार के नेतृत्व में प्रादेशिक परिवहन विभाग की टीम लगातार सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागृत करने का काम करने मे लगी है ताकि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति आए और वाहन दुर्घटनाओं में कमी आ सके। जिला परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि परिवहन एवं सडक विभाग द्वारा 'अलवर परवाह' की थीम पर 31 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2025 के आठवें दिन आज परिवहन विभाग के द्वारा यातायात नियमों की जानकारी व प्रवर्तन संबंधित कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि विभाग के उडन दस्ता प्रभारी बिजेंद्र कुमार मीणा के द्वारा थानागाजी कला कॉलेज में सडक सुरक्षा कैम्प आयोजित कर विद्यार्थियों को सडक एवं यातायात नियमों संबंधी जानकारी प्रदान की गई।

150 पम्पलेट व बुकलेट वितरित किए गए। साथ ही टेऊफिक पुलिस एवं परिवहन उडन दस्तों द्वारा विभिन्न श्रेणी के 35 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई।

बछड़े की हत्या को लेकर हिन्दू संगठन में आक्रोश, धरना दिया

अलवर। मिलखपुर में गौ पुत्र की निर्मम हत्या के मामले को लेकर समस्त हिन्दू संगठनों ने एस डी एम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन देकर तत्काल प्रभाव से मुल्जिम गिरफ्तार किये जाने की मांग की ।

अवैध भूमि पर गौ हत्या वाली जगह पर बुलडोजर चलाया जाये और दयाराम नाम के पुलिस कर्मचारी द्वारा एक कार्यकर्ता जिसने सूचना दी उसे धमकाया मारा पिता ऐसे कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाय यदि 24घंटे के अंदर उक्त कार्यवाही नहीं की गई तो दिनांक 10-01-2025को भारी संख्या मे हिन्दू संगठन एस डी एम कार्यालय रामगढ़ मे प्रदर्शन कर अपने स्तर की कार्यवाही करेगा।

इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया.निर्मल सूरा राष्ट्रीय सचिव हिन्दू वाहिनी, प्रदेश संगठन महा मंत्री अटल भाजपा सहयोगी मंच एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा ने डीएसपी रामगढ को अवगत कराया गया की रामगढ़, गोविन्द गढ़, नौगांव, अतरिया चौराहा आदि स्थानों पर खुले मे अवैध मास देगचो मे रखकर सडक़ किनारे बेच रहे है कभी पुलिस प्रशासन अथवा प्रशासन ने नहीं देखा की वह गौ मास बेच रहा है अथवा अन्य जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से मांग की गई ऐसे अवैध देगचो मे सडक पर खुले आम बेचने वालों पर पाबंदी लगाई जाये।

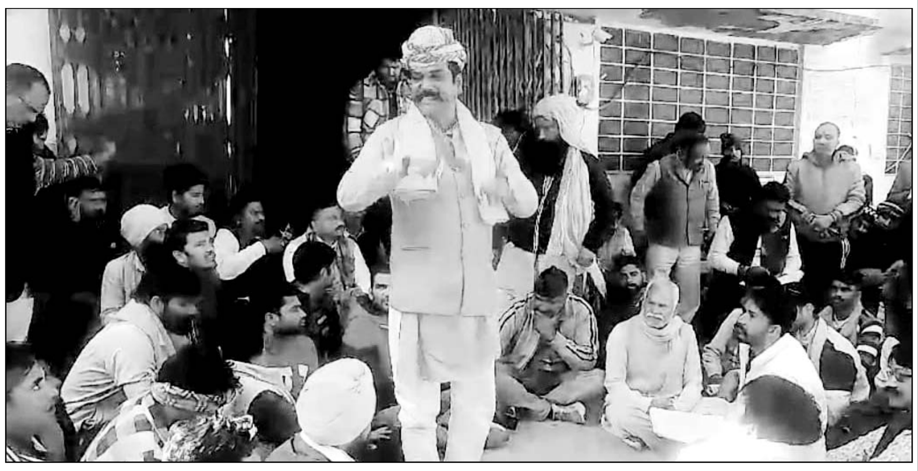

मिलखपुर में बछड़े की हत्या के विरोध में हिन्दू संगठनों ने एस. डी. एम. कार्यालय पर धरना दिया।

डी.सी. करेंगे 17 को जनसुनवाई

टोंक । तहसील नगरफोर्ट के ग्राम समरावता में विधानसभा उपचुनाव-2024 के दौरान घटित घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक जांच के लिए संभागीय आयुक्त अजमेर श्री महेश चंद्र शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त शुक्रवार, 17 जनवरी को प्रातः 11:30 बजे सर्किट हाउस टोंक में जनसुनवाई करेंगे।

खोया-पाया

मेरे मकान 4/94 SFS, मानसरोवर का Position Letter (कब्जा पत्र) अग्रवाल फार्म पर खो गया। मिलने पर सूचित करें। 9116970905

मेरे प्लॉट नं. 38, वीर विहार कॉलोनी, झाड़खण्ड रोड़, जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र साइट प्लान, रसीद खो गये मिलने पर सूचित करे। रेखा सिंह 7340294713

मेरे हाऊसिंग बोर्ड मकान नं. DWE/I 302 का अलाटमेंट लैटर मानसरोवर में खो गया। मिलने पर सूचित करें। 8541000078

प्लॉट नं. ए-326 अंसल आनन्दलोक स्कीम, ग्राम कालवाड, जयपुर के मूल आवंटन पत्र/एग्रीमेन्ट खो गया है मिलने पर सूचित करें। 9413349129

आवास संख्या 77/203 मानसरोवर जयपुर का मूल नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र गिर / गुम हो गया मिलने पर सूचित करे। बीना शर्मा मो. 7737204225

आम सूचना दिनांक 07.01.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय प्लॉट नं. E-9/524-A आवासीय योजना चित्रकूट अजमेर रोड जयपुर के ग्राउण्ड फलोर पर स्थित सम्पूर्ण आवासीय यूनिट बिल्टअप एरिया 1025 वर्गफीट का विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2017 चन्द्रप्रकाश वरलानी एवं द्रोपदी वरलानी के पक्ष में कार्यालय उप पंजीयक जयपुर पंचम के यहा पंजीकृत हो रखा है। चन्द्रप्रकाश वरलानी का निधन दिनांक 23.03.2021 हो गया जिसके निधन होने पर उसकी पत्नी द्रोपदी वरलानी एवं पुत्री जया वरलानी ही उसके एक मात्र कानूनी वारिसान थे इनके अलावा अन्य कोई कानूनी वारिसान नही था। जया वरलानी ने अपने हिस्से की सम्पत्ति जरिये पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 20.12.2024 से अपनी माता द्रोपदी वरलानी के पक्ष में त्याग कर दिया जो हक त्याग पत्र कार्यालय उप पंजीयक जयपुर अष्टम के यहां पंजीकृत है। अब उपरोक्त सम्पूर्ण यूनिट को द्रोपदी वरलानी से क्रय करने का इकरार मेरे अभिभाष्य ने किया है यदि इसमें किसी भी व्यक्ति, रिश्तेदार, वित्तीय संस्था अथवा बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास लिखित में मय सबूत सम्पर्क करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। सूचित रहे

सतीश चन्द गुप्ता, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर मो. 94140-56003

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रवेश विज्ञप्ति

डॉक्टर ऑफ सांइस (डी.एस.सी.)/ डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर (डी. लिट्) उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश सत्र 2024-25 हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते है । आवेदन-पत्र का प्रारुप, शैक्षणिक योग्यताऐं, निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है ।

(राज कुमार कसवां)
कुलसचिव

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका चाकसू जिला-जयपुर

नियम 6(7) देखिए

क्रमांक:-4106 दिनांक :-2/1/2025

लोक सूचना

श्री रामेश्वर प्रसाद पत्र श्री लक्ष्मीनारायण मामोडिया निवासी वार्ड नं. 10 मामोडियों को मोहल्ला, कास्बा चाकसू जिला जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (कृषि आधारित प्राथमिक लघु उधोग प्रयोजन) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृमि अधिकारों के निर्वापना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा हैक्टर	क्षेत्र
तहसील चाकसू जिला जयपुर	ग्राम चाकसू (पश्चिम)	12048/6061	0.53	कुल किता 02 रूकबा 1.00 हैक्टर
		12050/6070	0.68 है. में से 0.47 है.	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित वयक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस परा कार्यालय समय के दौरान अधोहीस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहन के अधीन आज 02/01/2025 को जारी की गयी। प्रधिकृत अधिकारी, नगर पालिका चाकसू

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका चाकसू जिला-जयपुर

नियम 6(7) देखिए

क्रमांक:-4109 दिनांक :-2/1/2025

लोक सूचना

श्रीमती अनोखी देवी पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी वार्ड नं. 10 मामोडियों को मोहल्ला, कास्बा चाकसू जिला जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (कृषि आधारित प्राथमिक लघु उधोग प्रयोजन) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृमि अधिकारों के निर्वापना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा हैक्टर	क्षेत्र
तहसील चाकसू जिला जयपुर	ग्राम चाकसू (पश्चिम)	12047/6061	0.43	कुल किता 04 रूकबा 1.00 हैक्टर
		12049/6070	0.07	
		6060	0.07	
		6062	0.43	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित वयक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस परा कार्यालय समय के दौरान अधोहीस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। यह सुचना मेरे हस्ताक्षर और मुहन के अधीन आज 02/01/2025 को जारी की गयी। प्रधिकृत अधिकारी, नगर पालिका चाकसू

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 03/2024

विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी - नाम पुनीत गुप्ता पुत्र स्व.सी प्रीतम कुमार गुप्ता जाति वैश्य

विवाद स्थान जयपुर

मृतक प्रीतम कुमार गुप्ता की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक 12/02/2025 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण के इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम प्रीतक कुमार गुप्ता पुत्र श्री रिधनारायण गुप्ता जाति वैश्य निवासी एम.242,आशियाना उत्सव,माचवा,चम्पापुरा जयपुर (राजस्थान) 303706

अत:उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12 माह 02 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 18 माह 12 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से
एडमिनिस्ट्रेटर जनरल,
राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झोटवाड़ा, पुलिया के नीचे, जयपुर

क्रमांक:-राबाउमावि/झोटवाडा/पुलिया के नीचे/फा-नीलामी/सत्र 2024-25/3221

दिनांक:-08.01.2025

स्टोर सम्बन्धी अतिरिक्त सामग्री के नीलामी

अनुपयोगी एवं नाकारा सामान जैसे कि :-लौहे, स्क्रैप टेबल एवं क्रीडा सम्बन्धी सामग्री की निलामी शर्ते एवं नियमानुसार माह जनवरी 2025 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय झोटवाड़ा, पुलिया के नीचे, जयपुर में विघालय में की जाएगी।

प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका उ. माध्यमिक विद्यालय
झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, जयपुर

सांभर में "रोडवेज डिपो" खुलवाने के नहीं हुए प्रयास

- ठहराव स्थल के पास गंदगी का आलम, विश्राम स्थल भी राम भरोसे

सांभर झील, (निसं)। सांभर उपखंड मुख्यालय पर रोडवेज डिपो खुलवाने के लिए किसी भी क्षेत्रीय विधायक ने आज तक कोई प्रयास नहीं किए। यहां पर जयपुर से वाया सांभर होते हुए नागौर तक जाने वाली रोडवेज की एक्सप्रेस बसों का ठहराव स्थल है।

सांभर से वाया बंधे बालाजी होते हुए रोडवेज की साधारण बस भी चलती है। श्रीमाधोपुर से चलकर अजमेर जाने वाली रोडवेज बस का भी पांच बत्ती चौराहा पर ठहराव स्थल है। आश्चर्य इस बात का है की रोडवेज बस डिपो अथवा रोडवेज बस स्टैंड के लिए ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त हो रहा है जिससे यह साबित हो सके की जन्प्रतिनिधियों व जिम्मेदार नेताओं ने अपनी भूमिका अदा की हो।

इसके लिए क्षेत्रीय विधायक पर आज तक किसी ने कोई प्रेशर भी नहीं डाला, तो विधायकों की अनदेखी भी साफ परिलक्षित होती है। इसका खामियाजा सांभर की जनता उपखंड के गठन के बाद से ही अनेक समस्याओं को झेलती आ रही है। जहां पर रोडवेज की बसें कुछ अंतराल के लिए ठहरती है वहां पर भी नगर पालिका की ठोस प्रशासनिक कार्य प्रणाली की कमी भी सामने आ रही है।

चारों तरफ गंदगी का आलम है। यहां पर उतरने वाली महिला सवारी के लिए पेशाब घर का कोई उचित स्थान नहीं है। जो पेशाब घर बना हुआ है वह पुरुषों के लिए है और केवल उसके अवशेष ही खड़े हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित इंडियन नेशनल कांठोस के तत्कालीन नगर अध्यक्ष स्वर्गीय रामगोपाल टाक के दादाजी बख्तावरमल टाक की ओर से आने वाले मुसाफिरों के लिए विश्राम स्थल बनवाया था जो आज भी मजबूती से खड़ा है।

देखने से प्रतीत होता है कि इस विश्राम स्थल की भी पालिका प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। रंग रोशन तो दूर सफाई भी मोकुल नहीं है। स्थल पर इतनी गंदगी है की कोई वहां बैठना तो दूर खड़ा भी नहीं रह सकता है।

यह शर्मसार स्थिति प्रशासन के लिए ही नहींबल्कि उन जिम्मेदार नेताओं की भी है, लेकिन एक दूसरे की टांग खिंचाई के कारण सांभर में जो विकास से काम होने चाहिए थे वह पूरी तरह से अवरुद्ध है। पालिका प्रशासन कोई ना कोई बहाना बनाकर इसमें ठोस प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने से आज तक पीछे चली आ रही है।

बताया जा रहा है कि विवाद के चलते नगर पालिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं तथा यहां के बजाय अन्यत्र किसी दूसरी भूमि पर नया बस स्टैंड बनवाने का प्रस्ताव भिजवाने की चर्चा भी एक-दो साल से चल रही है, इसके पीछे लोकल लीडरशिप करने वाले नेताओं की क्या मंशा है आम जनता आज तक समझ नहीं पा रही है और पर्यटन नगरी में रोडवेज बस स्टैंड का पूरा मापदंड तैयार नहीं होना यहां की नेगलिजेंसी सिद्ध हो रही है।

इस मामले में यहां के आसपास के दुकानदारों ने भी कई दफा पालिका प्रशासन को गंदगी साफ कराने व महिला टायलेट की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए।

नागरिक विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष व नमक संगठन के पदाधिकारी अनिल कुमार गट्टानी बताते हैं कि मापदंड के अनुरूप रोडवेज बस स्टैंड होना चाहिए जो नहीं है। रोडवेज डिपो व बस स्टैंड के लिए के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएंगे।

भक्तों ने पाई पौषबड़े की प्रसादी

सांभरझील, (निसं)। धार्मिक नगरी में पोष माह के शुरू होने के बाद से ही जगह-जगह धार्मिक स्थलों में पौषबड़े प्रसादी का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। ढाढो की गली स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी सत्यनारायण स्वामी व पार्षद सुशीला शर्मा, गांधी बालवाड़ी स्थित बाला की कोठी हनुमान मंदिर में पुजारी रामनिवास वैष्णव, पुरानी धान मंडी स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पुजारी सोहनलाल शर्मा के सानिध्य में पोष बड़ा प्रसादी हुई। अनेक श्रद्धालुओ ने अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान दिया। पुजारी की ओर से मंदिर की प्रतिमा को सजाया गया तथा संध्याकालीन आरती के तुरंत बाद भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को पंगत प्रसादी जिमाई। पंगत प्रसादी में बच्चे, महिलाएं भी काफी तादाद में प्रसादी लेने पहुंची। लोगों ने मंदिर में दर्शन कर आराध्य देव के समक्ष अपनी मनोकामना को पूरी होने के लिए प्रार्थना की। इसी प्रकार देवयानी सरोवर स्थित तपस्वी जी का आश्रम पर भी पंगत प्रसादी पाने के लिए देर रात तक हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन कर जय श्री राम का उद्घोष भी लगाया।

'सायपुरा की सड़क का कायाकल्प होगा'

भानपुर कलां । कस्बा से दिल्ली हाइवे एवं सायपुरा को जोड़ने वाली करीब 13 किमी की सड़कों का अब जल्द ही कायाकल्प होगा, जिससे राहगीर व वाहन चालकों को आवागमन में राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि भानपुर कलां को हाइवे से जोड़ने वाली एवं सायपुरा को जोड़ने वाली सड़कों का करीब 12 साल पहले जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवीनीकरण किया गया था। नवीनीकरण के अभाव में सड़कों में जगह जगह गहरे गड्ढे से बने हुए है।

वाहन चालकों के लिए ये गड्ढे जी का जंजाल बने हुए है जिसके कारण आये दिन जादातर दो पहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे है। सड़के खराब होने के कारण हिचकोले खाते वाहनों में यात्रियों को गन्तव्य तक पहुँचने में दोगुना समय लग रहा है।

नवीनीकरण के बाद नहीं ली जेडीए ने सड़कों की सुध कस्बा से जयपुर-दिल्ली हाइवे को जोड़ने वाली करीब 3 किमी सड़क का नवीनीकरण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011-2012 में करीब 55 लाख रुपए की लागत से किया गया था।

वही भानपुर कलां से सायपुरा को जोड़ने वाली करीब 9 किमी सड़क का नवीनीकरण कार्य वर्ष 2014-2015 में करीब सवा 6 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। लेकिन सड़कों के नवीनीकरण के बाद जेडीए द्वारा सुध नही लेने से सड़कों की खस्ता हालत है।

भानपुर कलां से हाइवे व सायपुरा को जोड़ने वाली सड़कों से भानपुर कलां सहित आसपास के करीब 24 से अधिक गांव व ढाणियों के राहगीर व वाहन चालक गुजरते हैं।

इन सड़कों से जमवारामगढ़ उपखण्ड कार्यलय एवं हाइवे की ओर जाने वाले जैसे बासना, बिलोद, नांगल तुलसीदास, टोडा मीना, निम्बी, दंताला मीना, भावगढ़, टीकमपुरा, निम्बी, घाटा जलधारी, कोल्याणा, पाली, बिसोरी, कालाखाना, ताला, गठवाड़ी, जयचन्दपुरा, राजपुरवास आदि गांवों व ढाणियों के करीब सैंकड़ों राहगीर व वाहन चालक गुजरते है।

सांभर लेक में हुआ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

जयपुर। जिला कलक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी जी के निर्देशन सक्षम जयपुर अभियान के तहत सांभरलेक के पंचायत समिति सभा भवन में नागरिक सुरक्षा जयपुर की डीक्यूआरटी टीम द्वारा एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नागरिक सुरक्षा जयपुर के उप नियंत्रक अमित शर्मा ने बताया कि इस ऑन स्पॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपातकालीन बचाव के तरीके प्राथमिक चिकित्सा , अग्निशमन के साथ-साथ कुआं , बोरवेल इत्यादि कैसे सुरक्षित रखें और अपनी जान जोखिम में ना डालते हुए कैसे दूसरों की मदद कर सके और किस तरीके से आपदा न्यूनीकरण किया जा सके इसके संबंध में विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षक कार्यक्रम के दौरान रेस्क्यू टीम से अनुदेशक श्री असरार अहमद, श्री भीम मीणा, श्री राजेश एवं कृष्ण कुमार इत्यादि द्वारा डेमो प्रदर्शन किया गया। पंचायत समिति कर्मचाररियों, अधिकारियों, पटवारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

जांच की अन्तिम तिथि में बदलाव

मालपुरा (निस) नगरपालिका शहरी क्षैत्र के शास्त्री नगर विस्तार योजना मे पालिका के 51 आवासीय भूखण्डो पर स्वामित्व को लेकर भूखण्डो के दस्तावेजो की जांच के लिये पूर्व मे जारी की गई अन्तिम तिथि में बदलाव कर जांच की अवधि 21 दिन बढाने के पालिका ईओ ने जारी आदेश किया । पालिका के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जयनारायण जाट ने बताया कि शास्त्री नगर विस्तार योजना मे आवासीय भूखण्डो की बारह वर्ष पूर्व हुई खुली बोली से निलामी के बाद से ही दुबारा शेष रहे भूखण्डो की सार्वजनिक अथवा ई-निलामी नही हो पाई थी। ऐसे मे चिन्हित 51 आवासीय भूखण्डो से सम्बन्धित मालिकाना हक को लेकर चल रहै विवाद मामले मे 3० दिसम्बर 2०24 को उक्त भूखण्डो की ई-निलामी सार्वजनिक सुचना जारी की गई थी। साथ ही उक्त भूखण्डो से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति के पास स्वामित्व दस्तावेज हो तो अंदर मियाद तीन दिवस मे पालिका कार्यालय मे प्रस्तुत करने हेतु 1 जनवरी को सार्वजनिक सुचना जारी की गई थी। ऐसे मे पालिका कार्यालय से आज जारी एक और आदेश मे उक्त भूखण्डो के स्वामित्व दस्तावेजो के सम्बन्ध मे आगामी कार्यवाही पालिका की बोर्ड मिटिंग मे की जानी है। दस्तावेजो की जांच अवधि मे बढोतरी करते हुये नवीन आदेश मे 21 दिन बढा 4 फरवरी 2०25 के लिये बढाई गई है। आदेशो मे ईओ ने बताया कि उक्त 51 भूखण्डो की ई-निलामी हेतु ऑनलाईन भागीदारी शुल्क व अमानत राशि जमा करवाने तथा बोली प्रारम्भ कर समाप्ति की संशोधित तिथियों एवं समय की सुचना अगले आदेश मे जारी की जायेगी।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

550
07/12/2024 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

समक्ष अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 2 जयपुर महानगर, द्वितीय, जयपुर

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरूद्ध राजेन्द्र सैनी एवं अन्य

वाद बाबत वसूली 3,23,766.00/- रूपये

वाद संख्या 38 सन् 2022 (38/2022) ता. पेशी- 24/1/25

बनाम 1. राजेन्द्र सैनी पुत्र श्री रति राम सैनी निवासी- मकान संख्या 5, न्यू कॉलोनी, चांदनी चौक, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर-302012

2. श्री रति राम सैनी पुत्र श्री गुलाब चन्द सैनी निवासी- मकान संख्या 5, न्यू कॉलोनी, चांदनी चौक, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 एवं केयर ऑफ शेखावाटी मिष्ठान भण्डार , राम नगर, जयपुर

वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया हैं। आपका इस न्यायालय में दिनांक 24 माह 01 सन् 2025 को प्रातः 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता हैं। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप अपर बताई गई तारीख को न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद दिनांक 07 माह 12 सन 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

सील

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर, द्वितीय

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय: फतेहपुर-शेखावाटी
जिला सीकर, राजस्थान

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तिके लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणियों/जमानतदारों **श्री उमाराम पुत्र धायला राम (ऋणी) एवं श्री खुमाचंद पुत्र उमाराम (सह-ऋणी) पर मांग सूचना दिनांक 04.09.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **रू. 42,26,123.28 (रूपये बयालीस लाख छब्बीस हजार एक सौ तेइस एवं पैसे अठाइस मात्र) दिनांक 04.09.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 06, माह जनवरी, वर्ष 2025** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **रू. 42,26,123.28 (रूपये बयालीस लाख छब्बीस हजार एक सौ तेइस एवं पैसे अठाइस मात्र) दिनांक 04.09.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, फतेहपुर-शेखावाटी शाखा** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

श्री उमाराम पुत्र धायला राम जाति-जाट के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट खसरा नं. 23, रोही गाँव बिरानिया, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है।

सीमाएं- पूर्व: खसरा नं. 23, पश्चिम: खसरा नं. 23, उत्तर: रास्ता एवं खसरा नं. 23, दक्षिण: खसरा नं. 23.

हस्ता.

दिनांक: 06.01.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: फतेहपुर-शेखावाटी बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला – जयपुर ग्रामीण (राज.)

कमांक/न.पा.चा./2024/4118 दिनांक :-02.01.2025

आपत्ति आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस नगर पालिका क्षेत्र में स्थित विभिन्न भूखण्डों की निम्नानुसार पत्रावली / प्रार्थना पत्र मय साईट प्लान राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के तहत् निस्तारण हेतु विचाराधीन है :-

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	एरिया	विषय
1.	अनिल कुमार कुमावत	नन्द लाल कुमावत	प्लाट नं. 57, सुन्दर नगर 2, चाकसू	88.88 वर्ग गज	नियमन
2.	स्वाती शर्मा	ईश्वर चन्द शर्मा	प्लाट नं. ई-42, अरिहन्त कुंज विहार, चाकसू	150.00 वर्ग गज	नियमन
3.	ममता जैन	नरेश जैन	प्लाट नं. 180, कुंज विहार, चाकू	200.00 वर्ग गज	नियमन
4.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-127, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
5.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-110, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
6.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-130, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
7.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-108, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
8.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-109, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
9.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-129, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
10	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-128, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
11.	सोनम जैन	अतुल कुमार जैन	प्लाट नं. सी-126, वृन्दावन विहार, चाकसू	200 वर्ग गज	नियमन
12.	संजय नराणिया	चंदा लाल	प्लाट नं. बी-5, दुकान नं. 62, 63, 64 वृन्दावन विहार वार्ड नम्बर 21, टीगरिया रोड चाकसू	183.33 वर्ग गज	नियमन
13.	संजय नराणिया	चंदा लाल	प्लाट नं. बी-4, दुकान नं. 59, 60, 61 वृन्दावन विहार वार्ड नम्बर 21, टीगरिया रोड चाकसू	183.33 वर्ग गज	नियमन
14.	संजय नराणिया	चंदा लाल	प्लाट नं. बी-2, दुकान नं. 53, 54, 55 वृन्दावन विहार वार्ड नम्बर 21, टीगरिया रोड चाकसू	183.33 वर्ग गज	नियमन
15.	प्रकाश कंवर	नारायण सिंह	प्लॉट नं. 158, ज्ञान कुंज विहार ब्लॉक -ए, सी-स्कीम, पुलिस थाने के सामने, चाकसू,	166.52 वर्गगज	नियमन
16,	अमित कुमार जैन	अशोक कुमार जैन	दुकान न. 33, 34, 35, शान्ति नगर, फागी रोड, चाकसू	83,33 वर्गगज	नियमन
17.	राजू लाल सैनी	गणेश नारायण सैनी	वार्ड नं. 15 नया 20, बागवानों का मौहल्ला, टोंक रोड चाकसू	47.55 वर्ग	पट्टा उपविभाजन
18.	रामपाल शर्मा	मांगीलाल शर्मा	वार्ड नं. 16, लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी, चाकसू	81.11 वर्ग गज	लीज डीड
19.	रामपाल शर्मा	मांगीलाल शर्मा	वार्ड नं. 16, लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी, चाकसू	22.43 वर्ग गज	लीज डीड
20.	रमेश चन्द वर्मा	लाल चन्द वर्मा	प्लाट नं. 367, आईडीएसएमटी कॉलोनी, चाकसू	200.00 वर्ग गज	लीज डीड

उक्त भूमि के नियमन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है तो वह आपत्ति को लिखित में इस सूचना प्रकाषन की तिथि से सात दिवस के अंदर-2 इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पष्चात् प्राप्त आपत्ति अंगीकार नहीं की जावेगी एवं तदानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।

उक्त सूचना आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुहर द्वारा प्रसारित किया गया।

राज.संवाद/सी/24/10040 अधिशाषी अधिकारी

शिविर में हुई विभिन्न गतिविधियां

चाकसू। कस्बा स्थित राजकीय विद्यालय में के सात दिवासीय विशेष शिविर का बुधवार को सरस्वती वंदना से शुरुआत की गई इसके पश्चात प्राचार्य डॉ सुनीता मीना द्वारा अथितियों का पुष्प व उद्गारों द्वारा स्वागत किया गया ।

जमीन के मामले में खूनी संघर्ष होने से बचा

गोविंदगढ /अलवर । गोविंदगढ कस्बे के नजदीकी गांव रामबास के खाटू श्याम नगर में बुधवार को खाटू श्याम नगर में दो पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई सैकडो की संख्या में वहां पर लोग जमा हो गए । यहां पर 90ए की कार्यवाही सन 2022 मैं की गई थी एवं 177 की कार्यवाही विचाराधीन होने के बाद भी खाटू श्याम नगर में प्रशासन की मिली भगत से निर्माण कार्य चल रहे हैं । जिसकी सूचना बार-बार संबंधित पटवारी दाताराम गुर्जर कार्य खाटू श्याम नगर में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है।

जिसकी सूचना भी पटवारी दाताराम गुर्जर को दी गई परंतु बोरिंग का कार्य नहीं रुका उसके बाद तहसीलदार राजेंद्र यादव को सूचना दी गई तो उसके बाद भी कार्य नहीं रुखा । खाटू श्याम नगर की लगातार शिकायत होने के बाद भी निर्माण चालू है। 181 पर भी खाटू श्याम नगर की शिकायत की गई है । क्षेत्रीय प्रशासन का जवाब कागजों में पाबंद करने की रिपोर्ट की गई है और कार्य बंद की रिपोर्ट 181 पर भेजी गई है । 8 जनवरी दिन बुधवार को खाटू श्याम नगर में दो पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई सैकड़ो की संख्या में वहां पर लोग जमा हो गए पुलिस को प्रथम पक्ष द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया गया और मामले की जानकारी प्राप्त की विवाद की जड क्या है । तेजपाल सैनी निवासी रामबास द्वारा बताया गया कि हमने 6 व्यक्तियों के नाम एग्रीमेंट किया था जिनके नाम है रमेश पंडित , दुर्गा प्रसाद ,वीरू, आदि लोगो के नाम जमीन का एठीमेंट किया था यह हमारे खेत थे हमने इन्हें बेच दिया है। उनसे हमने यह जगह अपने लिए रख ली थी दुकान बनाने के लिए जिन्होंने यह कॉलोनी काटी है जो कि अलवर जिला के रहने वाले हैं मैंने अपनी भूमि पर दुकान निर्माण कर रहा हूं मैं किसी को जमीन नहीं बेची है उनका एठीमेंट खत्म हो गया था हैं। उन्होंने फर्जी तरीके से दूसरे के नाम हमारी जमीन का एठीमेंट कर दिया है। जबरन कब्जा करना चाहते है। जिन लोगों के नाम एग्रीमेंट लिखा है आज सुबह 8 जनवरी को 100 से 150 लोग की संख्या में लोग भेजे है। जिनके पास लाठी डंडे हाथो में थे ट्रैक्टर में ईट भरकर लाए थे और वहां पर खला दी निर्माण कार्य के लिए पुलिस समय पर पहुंच गई नहीं पहुंचती तो खूनी संघर्ष हो जाता जान माल की हानि भी हो सकती थी पुलिस को देखकर लोगों ने लाठियो के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने लाठियो को अपने कब्जे में ले लिया । लगभग 16 बीघा में अवैध आवासीय एवं व्यवसायिक कॉलोनी कृषि भूमि पर बसाई जा रही है क्षेत्रीय पटवारी दाता राम ने बताया कि तहसीलदार द्वारा गोविंदगढ़ पुलिस को लेटर भेज दिया गया है।

नाम परिवर्तन

I JAI PRAKASH SINGH,am father of JC 423183F Sub Pawan Kumar Singh residing at VILL-NARAYANPUR, P.O. SONHO BHATHA, TEH-CHHAPRA P.S-PARSA, DIST-SARAN (BIHAR) Pin- 841460 have changed my name from JAI PRAKASH SINGH to JAY PRAKASH SINGH vide Affidavit No. BRECR001-C241200050731 dated 18.12.2024 before the honorable District Court Saran Bihar.

I have changed my name from Sunita Kumari Agarwal to Sunita Agarwal for all purpose in future. R/o 58, Kailashpuri Colony New Sanganer Road sodala Jaipur.

मैने अपना नाम गोरधन लाल गुप्ता से बदलकर गोरधन गुप्ता रख लिया है भविष्य मे मुझे गोरधन गुप्ता राम अवतार गुप्ता निवासी 31, कृष्णा नगर, ब्रहम्पुरी रोड जयपुर के नाम से जाना जावे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

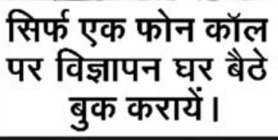

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

दर्शन के लिये उमड़ रही भीड़

मालपुरा (निस) टोडारायसिंह क्षेत्र के भांसू गांव में निमार्णाधीन सीतारामजी मंदिर परिसर मे खुदाई के दौरान दो मूर्तियां निकलने के बाद बडी संख्या मे लोग उनके दर्शनों के लिये उमड रहे है। दोनो मूर्तियों का पंचामृत अभिषेक कर बालाजी मंदिर मे दर्शनो के लिये रखा गया है। अतिप्राचीन सीतारामजी महाराज मंदिर निर्माण के लिये नींव खुदाई का कार्य के दौरान दोनो मूर्तियां निकली।

ट्रोमा सेंटर शीघ्र बनवाने की मांग

शाहपुरा । बजट में घोषणा ट्रोमा सेंटर की घोषणा होने के बाद भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। ऐसे में आमजन को मिलने वाले लाभ का इंतजार करना पड रहा है। इसको लेकर निवासीगण शाहपुरा की ओर से आरटीओ ऑफिस के पास बाबा नारायणदास राजकीय उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर के लिये दानदाता द्वारा पुराना रकबा है। वर्तमान भुमियान दिये जाने सभी संबंधित विभागों के द्वारा उक्त भूमि पर उक्त चिकित्सालय स्थापित किये जाने की सहमति एवं अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त भी प्रशासन द्वारा उक्त चिकित्सालय के स्थान परिवर्तित करवाकर चारागाह भूमि पर चिकित्सालय स्थापित किये जाने के प्रयास के क्रम में राज्य सरकार एवं नगर परिषद शाहपुरा के द्वारा की जा रही कार्यवाही से उप जिला कलक्टर सजीवकुमार खेदर को बुधवार को ज्ञापन सौपा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

खेरली शाखा, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, कठूमर रोड़, खेरली, अलवर, राजस्थान, फोन नं.: 01492-280130, ई-मेल: kherli@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" और "जितनी भी उपलब्ध है"** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/ वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**मैसर्स खंडेलवाल ऑटोमोबाइल्स** पुलिस स्टेशन के सामने, कठूमर रोड़, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606 **प्रोपराईटर एवं ऋणी-** **श्री सुरेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम** वाई नं. 16, गुर्जर मोहल्ला, पोस्ट ऑफीस के पास, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606 **जमानतदार-** **श्री दिनेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम** वाई नं. 16, गुर्जर मोहल्ला, पोस्ट ऑफीस के पास, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606	श्री दिनेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम एवं श्री सुरेश चंद पुत्र श्री मंगतू राम के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो वाई नं. 16, गुर्जर मोहल्ला, खेरली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान 321606 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 169.734 वर्ग मीटर (203 वर्ग गज) है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: गली, उत्तर: श्री दीपचंद शर्मा का प्लॉट, दक्षिण: श्री रामस्वरूप खंडेलवाल का प्लॉट **अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं**	रूपये 15,31,416.99 दिनांक 18.09.2024 को बकाया (दिनांक 18.09.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	17.02.2025 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	**आरक्षित मूल्य-** रूपये 33,50,000/- **धरोहर राशि-** रूपये 3,35,000/- **बोली वृद्धि राशि-** रूपये 20,000/-	सांकेतिक	13.02.2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं.- 01492-280130, मोबाईल नं. 8094004765** पर संपर्क कर सकते है।

हस्ता.
दिनांक: 07.01.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: अलवर बैंक ऑफ बड़ौदा